

प्रेस नोट दिनांक-22.09.2021

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में गैंग की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री प्रमोद कुमार तथा उनकी टीम द्वारा 05 दिन पूर्व हुयी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुये बबुली कोल गैंग के 04 सक्रीय सदस्यों को अवैध असलहों एवं लूट के 07 मोबाइल फोन के साथ मारकुण्डेय के जंगलों से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।

आज दिनांक 22.09.2021 को प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी एवं उनकी टीम द्वारा अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए मारकुण्डेय के जंगल से बबुली कोल गैंग के 04 सदस्यों को लूट के 07 अदद मोबाइल, 02 देशी बन्दूके 12 बोर व 06 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 02 देशी बन्दूके 315 बोर तथा 05 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों द्वारा दिनांक 17.09.2021 की रात्रि में थाना मारकुण्डी क्षेत्र के ग्राम अमचुरनेरुआ में मोबाइल लूट की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध मे थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 37/2021 धारा 392 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इस प्रकार थाना मारकुण्डी पुलिस टीम ने 05 दिन में ही लूट जैसी घटना का सफल अनावरण करने में सफलता प्राप्त की गयी।

अभियुक्तों का विवरण:-

1. लाला कोल पुत्र बाबाजान कोल नि0ग्राम डोडामाफी बड़ा कोलान थाना मारकुण्डी, चित्रकूट
2. देवमुनि मवईया पुत्र कोदा कोल नि0ग्राम डोडामाफी बड़ा कोलान थाना मारकुण्डी, चित्रकूट
3. गया पटेल पुत्र अशोक उर्फ गामा नि0ग्राम मानपुर खोह थाना भरतकूप, चित्रकूट
4. रोहिणी उर्फ रज्जन पुत्र श्यामसुन्दर पटेल नि0ग्राम लंकापुरवा थाना बहिलपुरवा, चित्रकूट

बरामदगी का विवरण:-

1. 07 अदद मोबाइल लूट की
2. 02 अदद देशी बन्दूके व 06 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
3. 02 अदद देशी बन्दूके व 05 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास:-

1. लाला कोल पुत्र बाबाजान कोल

1. मु0अ0सं0- 31/15 धारा- 147/148/149/307/504/506 IPC व 12/14 DAA ACT मारकुण्डी
2. मु0अ0सं0- 03/16 धारा- 147/148/149/323/504/506 IPC व 12/14 DAA ACT मारकुण्डी
3. मु0अ0सं0- 35/15 धारा- 147/148/149/307/504/506 IPC व 12/14 DAA ACT मारकुण्डी
4. मु0अ0सं0-46/16 धारा- 147/148/149/380/307/386/323/506/411 IPC व 12/14 DAA ACT थाना बहिलपुरवा
5. मु0अ0सं0- 47/16 धारा- 147/148/149/307/504/411 IPC व 12/14 DAA ACT थाना बहिलपुरवा
6. मु0अ0सं0- 37/21 धारा- 395 IPC थाना मारकुण्डी
7. मु0अ0सं0- 38/21 धारा- 147/148/149/307/504/506 IPC व 12/14 DAA ACT थाना मारकुण्डी
8. मु0अ0सं0- 39/21 धारा- 3/25 आर्म्स ACT थाना मारकुण्डी

2. देवमुनि कोल उर्फ प्रधान पुत्र कोदु कोल

1. मु0अ0सं0-08/05 धारा-147/148/149/307 भा0द0वि0 व 12/14 डी0ए0 एक्ट थाना मारकुण्डी
2. मु0अ0सं0-10/05 धारा 3/25 A ACT
3. मु0अ0सं0-15/05 धारा 393/394/398/147/148/149/307 IPC
4. मु0अ0सं0-17/05 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट

5. मु0अ0सं0-25/04 धारा147/148/149/307 IPC
6. मु0अ0सं0- 27/04 धारा-364ए/307 IPC
7. मु0अ0सं0-29/04 धारा-386/410 IPC
8. मु0अ0सं0- 37/21 धारा- 395 IPC थाना मारकुंडी
9. मु0अ0सं0- 38/21 धारा- 147/148/149/307/504/506 IPC व 12/14 DAA ACT थाना मारकुण्डी
10. मु0अ0सं0- 40/21 धारा- 3/25 आर्म्स ACT थाना मारकुण्डी

3. गया पटेल पुत्र अशोक उर्फ गामा

1. मु0अ0सं- 19/15 धारा 147/148/149/307 भादवि0 व 12/14 DAA ACT
2. मु0अ0सं- 19/12 धारा 147/148/149/307/302 भादवि0 व 3(2)V SC/ST एक्ट
3. मु0अ0सं0- 37/21 धारा- 395 IPC थाना मारकुंडी
4. मु0अ0सं0- 38/21 धारा- 147/148/149/307/504/506 IPC व 12/14 DAA ACT थाना मारकुण्डी
5. मु0अ0सं0- 41/21 धारा- 3/25 आर्म्स ACT थाना मारकुण्डी

4. रोहिणी उर्फ रज्जन पुत्र श्यामसुन्दर

1. मु0अ0सं0- 37/21 धारा- 395 IPC थाना मारकुंडी
2. मु0अ0सं0- 38/21 धारा- 147/148/149/307/504/506 IPC व 12/14 DAA ACT थाना मारकुण्डी
3. मु0अ0सं0- 42/21 धारा- 3/25 आर्म्स ACT थाना मारकुण्डी

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

01. प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री प्रमोद कुमार
02. उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह यादव
03. आरक्षी भाष्कर शुक्ला
04. आरक्षी अंकित शुक्ला
05. आरक्षी अमित सिंह
06. आरक्षी संदीप लोधी
07. आरक्षी सचिन यादव
08. आरक्षी कृष्ण कुमार यादव
09. आरक्षी अजय रजक
10. आरक्षी योगेन्द्र कुमार

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायाधीश श्री विनीत नारायण पाण्डेय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यू/रेप केस एवं पोक्सो एक्ट जनपद चित्रकूट द्वारा आद दिनांक 22.09.2021 को मु0अ0सं0 151/2017 धारा 302/34 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी थाना रैपुरा के आरोपित अभियुक्त राजा उर्फ राजबहादुर पुत्र दसुवा निवासी भाऊपुरवा मजरा हरदौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 100000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन मे अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में वरि0उ0नि0 श्री कृपानन्दन शर्मा थाना भरतकूप तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. पालू पुत्र पप्पू कोल 2. बाबूलाल पुत्र बिरजू कोल निवासीगण नई दुनिया टिटिहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अपमिश्रित शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री कृपानन्दन शर्मा थाना भरतकूप
2. उ0नि0 श्री मजीद खां
3. आरक्षी अभिनव तिवारी
4. आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह

(4). आज दिनांक 22.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को बताया गया कि आप अपनी शिकायत मो0नं0 8810747614 वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकते है, आप लोगों को दूर दराज से यहां तक नहीं आना पड़ेगा, आपकी शिकायत वीडियो कॉलिंग पर ही सुन ली जायेगी तथा निस्तारण कराया जायेगा, जिससे आप लोगों को समय की तथा आर्थिक बचत होगी। इस दौरान महोदय द्वारा वीडियो कॉलिंग से प्राप्त शिकायतों को भी सुना गया एवं उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

(5.) उ0प्र0 साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से"उ0प्र0 पुलिस साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग" की आयोजित साइबर अपराध से बचाव एवं जागरूकता की वर्चुअल कार्यशाला में नियमित रूप से पुलिस कार्यालय जनपद चित्रकूट के साथ साथ समस्त थानों पर अधि0/कर्म0गण द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा ।

(6). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल, विद्यालय एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

"मिशन शक्ति फेज-3" अभियान के तहत दिनांक 22.09.2021 को श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में जनपद में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया । जिसमें महिलाओं/बालिकाओं को "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजार, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी,

अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा के बारे में जानकारीयाँ दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया ।

इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनो से सार्वजनिक स्थलो यथा-स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।

